

कायालय—जिला भैसिक शिक्षा अधिकारी, झाजगढ़।

प्राप्ति-
मेंत्र से

1627-1727 / 2015-16

दिनांक—३०-४-१५

प्रत्यक्ष
टॉपफॉर्मैसिकैन्डेन्ट पाव्हलक्स्ट्रो क्लॉड्सी बेस्टी भैसिक
आजगढ़।

विशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए विशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महीदय

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वती एजायर/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं टॉपफॉर्मैसिकैन्डेन्ट पाव्हलक्स्ट्रो क्लॉड्सी बेस्टी भैसिक आजगढ़ को दिनांक-01 जुलाई, 2014 से दिनांक-30 जून, 2017 तक तीन बार की अवधि के लिए कक्षा १०, ८, ६ तक के लिए अनुचित मान्यता प्रदान करने की सम्मति देता हूँ—

उपरांत भजूरा निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन हैं—

- 1— मान्यता की भजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता संबंध में करने के लिए कोई बायता विविहित नहीं है।
- 2— विद्यालय विशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और विशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3— विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिति, नरसीरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस को कमज़ोर बर्गों और सुविधा-पिछीन रामङ्क के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें विशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4— पैसा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की घारा 12 की उपबन्धों (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्वित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्वियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथम बैक खाता रखेगा।
- 5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का राग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरकार को किसी स्कॉरिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6— विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का स्वृत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का स्वृत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय में फैल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोई वर्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं दी जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निश्चितता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भट्टी अधिनियम की घारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताओं नहीं है, पैंच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की घारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी आयापन शिक्षकलालों ने नियोजित नहीं करेंगे।
- 7— विद्यालय रामुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

(2)

- विद्यालय अधिनियम की वारा 19 में यथानिर्दित विद्यालय के मानकों और सौनेगणों को बनाये रखेगा।
अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट को गई प्रसुविधाये निम्नानुसार हैं—
- विद्यालय परिसर का सेक्रेटरल—
कूल निमित्त क्षेत्र
कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
विद्यालय की संरचना
प्राच्यायणक—सह—कार्यालय—सह नैदानिकार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
पेयजल
निः—हे—मील प्रकाने के लिए रसोई घर
वाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
- 9— विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता कक्षाये नहीं चलायी जायेगी।
- 10— विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और जौशन विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्काल प्रदृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12— रकूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या समग्र या किसी अन्य व्यक्तियों के तम ने लिए नहीं बलाया जा रहा है।
- 13— विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण वी एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14— आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष-2015/24) है। कृपया इसे नोट करले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करत है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतर्क अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की क्रियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16— लोकाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
- 17— सलान उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।—

भवदीय,

(राकेश कुमार)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

- पृष्ठा / 2015-16 / तददिनांक।
प्रतिलिपि— निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- 1— सचिव, उत्तर प्रदेश, वैसिक शिक्षा प्रिष्ठद, इलाहाबाद।
2— सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
3— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(राकेश कुमार)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

